फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रामुबाई | **विपक्षी : श्री नारायणदास**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 118/21**

जीसीएमएस : 2021/468

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 19.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 182 पर दर्ज आराजी नम्बर 5244 रकबा 1.5216 हेक्टेयर, खाता संख्या 224 पर दर्ज आराजी नम्बर 5190 रकबा 1.3921 हेक्टेयर, खाता संख्या 225 पर दर्ज आराजी नम्बर 5456/5190 रकबा 0.6475 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 83 पर दर्ज आराजी नम्बर 1727, 1728, 2020, 5129, 5131, 5132, 5134, 5135, 5139, 5140, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5149, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5807/5161 किता 23 कुल रकबा 5.0585 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। चूंकि वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण मौके पर नया निर्माण कार्य कर लेते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी परन्तु यदि केवल मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के साथ कठुराघात होगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाते हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किये जाते है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 182 पर दर्ज आराजी नम्बर 5244 रकबा 1.5216 हेक्टेयर, खाता संख्या 224 पर दर्ज आराजी नम्बर 5190 रकबा 1.3921 हेक्टेयर, खाता संख्या 225 पर दर्ज आराजी नम्बर 5456/5190 रकबा 0.6475 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 83 पर दर्ज आराजी नम्बर 1727,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:49 IST
Reason: SelfAttested

1728, 2020, 5129, 5131, 5132, 5134, 5135, 5139, 5140, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5149, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5807/5161 किता 23 कुल रकबा 5.0585 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:49 IST
Reason: SelfAttested